रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092026-276564
CG-DL-E-28092026-276564

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5118]	नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2026/आश्विन 6, 1948
No. 5118]	NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2026/ASVINA 6, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2026

सं. 122/ 2026/सीबीडीटी

का.आ. 5325(अ).— आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45(4) (b) के अनुपालन में, केंद्र सरकार, एतद्द्वारा, सिज़ोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन (I), चेन्नई (पैन: AABTS1181R) को उक्त अधिनियम, 2025 की धारा 45(3)(a)(i) और आयकर नियम, 2026 के नियम 32 और 34 के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्थान की श्रेणी के अंतर्गत 'अन्य संस्थान' के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना सिज़ोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन (I), चेन्नई (पैन: AABTS1181R) के लिए लागू होगी, बशर्ते कि

(क) सिज़ोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन (I), चेन्नई को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार द्वारा उन प्रत्येक कर वर्ष के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन (एसआईआरओ) के रूप में अनुमोदित किया जाना जारी रखा जाता है, जिसके लिए यह अधिसूचना प्रभावी है।

(ख) यह -

(i) आयकर नियम, 2026 के नियम 34 में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करता रहेगा;

(ii) प्रत्येक कर वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45(4)(a) के अंतर्गत प्रपत्र सं. 15 में विवरण तैयार करेगा और आयकर नियम, 2026 के नियम 31 के अनुसार दान प्राप्त होने वाले कर वर्ष के तुरंत बाद आने वाली, 31 मई को या उससे पहले आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवायेगा:

(iii) आयकर नियम, 2026 के नियम 31 के अनुसार प्रपत्र संख्या 16 में दान की राशि का उल्लेख करते हुए दान कर्ता को प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा।

यह अधिसूचना कर वर्ष 2026-27 से 2030-2031 तक के लिए लागू होगी।

[फा. सं. 203/24/2025/आईटीए-II]

इंदु बाला, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2026

No. 122 of 2026-CBDT

S.O. 5325(E).— In pursuance of the section 45(4)(b) of the Income-tax Act, 2025, the Central Government hereby approves **Schizophrenia Research Foundation (I), Chennai (PAN: AABTS1181R)** for Scientific Research as 'other institution' under the category of University, college or other institution, for the purposes of section 45(3)(a)(i) of the said Act of 2025 and rules 32 and 34 of the Income-tax Rules, 2026.

2. This notification shall be applicable to the Schizophrenia Research Foundation (I), Chennai (PAN: AABTS1181R), subject to the conditions that:

(A) Schizophrenia Research Foundation (I), Chennai continues to be approved as Scientific and Industrial Research Organization (SIRO) by Department of Scientific and Industrial Research, Government of India during each of the Tax Years for which this notification is effective.

(B) it shall—

(i) comply with the conditions specified in rule 34 of the Income-tax Rules, 2026;

(ii) prepare statement under section 45(4)(a) of the Income-tax Act, 2025 for each tax year in Form No.15 and deliver or cause to be delivered to the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by him on or before the 31st May, immediately following the tax year in which the donation is received, in accordance with rule 31 of the Income-tax Rules, 2026:

(iii) furnish to the donor, a certificate in Form No.16 specifying the amount of donation in accordance with rule 31 of the Income-tax Rules, 2026.

This notification shall be effective for the tax years 2026-2027 to 2030-2031.

[F. No. 203/24/2025/ITA-II]

INDU BALA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. BHABAJIT DEKA